भाग-।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः तिथि..... नाम और पदनाम स्थान...... सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

> हस्ताक्षरः नाम और पदनाम सरकारी मोहर

तिथि

स्थान

SHE INSPACTION REPORTING TO BELOW THE RANK OF DOE for the forest land to be directed ander FCAT

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17— राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग—।। या भाग—।।। या भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

Whether any care sendingered anique species of the gentler; and found in the mes, it to the details there are

तिथि:

नाम और पदनाम

स्थान

that miniminents is brepted in the press, it, so the सरकारी मोहर

1980 and no work has been started without proper spection.
It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)
Act, 1980 provisions. A detail report as per paris L9 of chapters. Para Constitution of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Provisional Complins also yoff of a few mer of Complian and the provisional Complians also yoff of a few mer de posses and a description of the few of the few marks and the few of the few

Y Made the nursuss for which the furst hard is required to be discussed

ax out of fairmal the tick the option which is applicable and cross-size optio which is out applicable.

As not letter number 2-2/2000 PC dartes 16-70-2000 Feed Walnutsen of Provinces.

Forests. Government of India for proposal insulving less then 40 feetures of investigated, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving must than 40 feetures of forest land site asypertan report from the conservation of a received.



परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज—13 के अन्तर्गत धरासू—चिन्यालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

> सहायके अभियन्ता, पीo एमo जीo एसo वाईo, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

अहिमासी अधिम

अधिशासी अभियन्ता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज—13 के अन्तर्गत धरासू—चिन्यालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरें रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया जाय। इसके अतिरिक्त मानचित्र में स्पष्ट संकेत सूची बनाकर मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी, जिलाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर कराये जाय।

मानचित्र संलग्न है।

1. मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु का निर्देशांक **N** 30° 32' 57.92''


E 78° 23' 20.70"

2. मार्ग के अन्तिम बिन्दु का निर्देशांक **N** 30° 33' 38.70''

E 78° 22' 57.91''

किनष्ठ अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी सहायक अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी



परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज—13 के अन्तर्गत धरासू—चिन्यालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

लागू नहीं है।

सहायक अभियन्ता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी DIA

अधिशासी अभियन्ता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

FORM-I

(For linear projects)

Government of.....

No. 735

Dated 4-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of india's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.655** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Rural Road Development Authority for Road construction work in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Bagodi village in Chinyalisour tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.655 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s), and the District Level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised right of primitive Tribal group and pre-agricultural communities.

Encl.: As above

जिला**धिकारी** Signatu**एस्टरकामो**

(Full name and official seal of the District collector)

भंचाई खण्ड लो० नि० वि० उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता भारप्मार्जी०एस०वाई०सि०स्ये